बिहार सरकार
उद्योग विभाग
(अधिसूचना)

संख्या 3078 / पटना, दिनांक– 29/07/2015

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उद्योग विभाग के हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में रेशम प्रक्षेत्र के तकनीकी पदों की भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।–** (1) यह नियमावली "बिहार **रेशम** तकनीकी अधीनस्थ संवर्ग नियमावली, 2015" कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार उद्योग विभाग के हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के अधीन **रेशम** प्रक्षेत्र के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों तक होगा।
   (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ ।–** इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो :–
   (I) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार
   (II) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अभिप्रेत है निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना
   (III) 'संवर्ग नियंत्री प्राधिकारी' से अभिप्रेत है निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना
   (IV) 'विभाग' से अभिप्रेत है उद्योग विभाग, बिहार, पटना
   (V) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग तथा
   (VI) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है राज्य सरकार के **रेशम** प्रक्षेत्र की सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न कोटि के तकनीकी कर्मियों का संवर्ग।
3. **संवर्ग का गठन ।–**
   (1) रेशम प्रक्षेत्र के तकनीकी पदों की अधीनस्थ संवर्ग में निम्नलिखित कोटि/श्रेणी के पद होंगे :–
   (I) तकनीशियन (ग्रेनेज/रीयरिंग/प्लान्टेशन/रीलिंग)/
   (II) दक्ष बुनकर/वार्पर/रंगाई सहायक/फिनिसिंग सहायक।
   (III) अधिदर्शक/पर्यवेक्षक।
   (IV) सहायक अधीक्षक/प्रबंधक/तकनीकी सहायक/
   सहायक उत्पादन प्रबंधक/फार्म मैनेजर/
   प्रयोगशाला सहायक।
   (2) इस नियमावली के आरंभ के पूर्व से ऊपर उल्लिखित कोटियों/श्रेणियों में नियमानुसार नियुक्त/समायोजित एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः ही इस संवर्ग में शामिल समझे जाएंगे।
4. **प्राधिकृत बल ।–** संवर्ग का प्राधिकृत बल वही होगा, जो आवश्यकतानुसार समय–समय पर उद्योग विभाग /हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा पद सृजन अथवा पद समाप्ति के पश्चात निर्धारित किया जाएगा।
5. **आरक्षण ।–** संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत आरक्षण नीति/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

6\. **भर्त्ती** ।– (1) संवर्ग में प्रवेश बिन्दु :– इस संवर्ग में पदों के सोपान तंत्र के अनुसार उनके प्रवेश बिन्दु एवं उनकी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता निम्न प्रकार से होंगे :–

क्र0 सं0	हस्तकरघा/रेशम तकनीकी सेवा संवर्ग के विभिन्न कोटि/श्रेणी के विभिन्न पदों का नाम	नियुक्ति		सीधी नियुक्ति हेतु योग्यता शैक्षणिक/तकनीकी
		सीधी नियुक्ति का प्रतिशत	प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
1.	(i) तकनीशियन (ग्रेनेज/रीयरिंग/प्लान्टेशन/रीलिंग) (ii) दक्ष बुनकर/ वार्पर (iii) रंगाई सहायक/ फिनिसिंग सहायक	80	20	मान्यता प्राप्त संस्थान से सिल्क टेक्नोलॉजी में दो वर्षीय वाकेशनल कोर्स/शौर्ट टर्म कोर्स इन पोस्ट कोकून टेक्नोलॉजी/ सीड टेक्नोलॉजी
2.	अधिदर्शक/पर्यवेक्षक	50	50	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेरिकल्चर
3.	सहायक अधीक्षक/प्रबंधक /तकनीकी सहायक/ सहायक उत्पादन प्रबंधक /फार्म मैनेजर/ प्रयोगशाला सहायक	75	25	बी0एस0सी0 सिल्क (टेक0)/बी0टेक0 (सिल्क टेक0)/एम0एस0सी0 (सेरिकल्चर टेक्नोलॉजी)

उपर्युक्त कंडिका– 1 के कॉलम– 2 में वर्णित पदों को 20% अपेक्षित योग्यताधारी कीटपालकों से प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

(2)(i) प्रत्येक पंचाग वर्ष के 30 अप्रील तक सीधी भर्ती के साथ–साथ प्रोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों का आकलन नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ii) क्रमांक– 1, क्रमांक– 2 एवं क्रमांक– 3 में उल्लिखित पदों पर नियुक्ति, कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर की जाएगी। आयोग उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की आरक्षण कोटिवार अनुशंसा नियुक्ति पदाधिकारी को करेगी जितनी संख्या में उद्योग विभाग द्वारा उन्हें रिक्तियाँ अधियाचित की गई हो।

(3) सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए समय–समय पर, विनिश्चित की जाय।

7\. **अर्हता** ।– (1) सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जैसा कि उपर्युक्त नियम– 6 की उप नियम– 'क' के सारिणी स्तम्भ– 5 में अंकित है, के साथ–साथ कम्प्यूटर का ज्ञान अनविार्य अहर्ता होगी।

(2) सीधी नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्राप्त आवेदनों के अनुसार सभी योग्य अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा लेगा।

(3) लिखित परीक्षा निम्नलिखित विषयों की होगी। विषयों के नाम, परीक्षा की अवधि तथा पूर्णांक निम्नलिखित सारणी के अनुसार होंगे :–

(4) **तकनीशियन :–**

प्रवेश परीक्षा के लिए विषय :–

क्रमांक	विषय	पूर्णांक	अवधि	
(i)	हिन्दी :–	100	2 घंटा	–
(ii)	अंग्रेजी :–	100	2 घंटा	–
(iii)	सामान्य ज्ञान :–	100	2 घंटा	
(iv)	तकनीकी विषय :–	150	2 घंटा	

(5) **तकनीकी विषय की विषय सूची** – रेशा, रेशम के प्रकार, रेशमकीट/रेशम खाद्य–पौधा की सामान्य जानकारी, रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम खाद्य पौधा रोपण, रेशम कीटपालन, रोग मुक्त चकत्ता उत्पादन, रीलिंग–स्पिनिंग, बुनाई, रंगाई, छपाई, फिनिशिंग की सामान्य जानकारी, रेशम खाद्य–पौधों एवं रेशम कीट के रोग एवं निदान की सामान्य जानकारी

(6) **अधिदर्शक/पर्यवेक्षक :–** प्रवेश परीक्षा के लिए विषय

(i)	हिन्दी :–	100	2 घंटा	–
(ii)	अंग्रेजी :–	100	2 घंटा	–
(iii)	सामान्य ज्ञान :–	100	2 घंटा	

(7) **तकनीकी विषय :–** 200 3 घंटा –

तकनीकी विषय की विषय सूची :–

(क) विभिन्न प्रकार के रेशा (Textile Fibre) की सामान्य जानकारी

(ख) विभिन्न प्रकार के रेशम कीट, उनका जीवन चक्र, उनके रोग एवं निदान रोगों के रोकथाम के उपाय, उच्च उत्पादकता वाले प्रभेद, बिहार के लिए अनुशंसित

(ग) रेशम खाद्य पौधों की संक्षिप्त जानकारी, नर्सरी, पौधारोपण के विभिन्न प्रभेद तरीके/पौधारोपण तकनीक, उच्च उत्पादकता वाले प्रभेद रोग, उनके रोकथाम एवं निदान

(घ) रेशम कीटपालन के विभिन्न तकनीक, इतिहास, कीटपालन उपकरण, विभिन्न प्रकार के रेशम कीटपालन गृह

(ङ) रेशम कीटबीज उत्पादन– नाभिकीय/बुनियादी/ वाणिज्यिक बीज उत्पादन, माइक्रोस्कोप की प्रारंभिक जानकारी, रोग मुक्त चकत्ता उत्पादन तकनीक

(च) रेशम उत्पादन में विश्व, भारत, बिहार का past, present एवं future

(छ) पोस्ट ककून टेक्नोलॉजी– Cocoon shiffling, storage, marketing, reeling, spinning

(ज) रेशम वस्त्र बुनाई, रंगाई छपाई फिनिशिंग की संक्षिप्त जानकारी

(झ) रेशम उद्योग का आर्थिक लेखा–जोखा, viability , बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीक, लघु दीर्घ योजना की जानकारी

(ञ) प्रचार–प्रसार तकनीक की संक्षिप्त जानकारी

(8) **सहायक अधीक्षक/प्रबंधक :–** परीक्षा अवधि

(i) हिन्दी :– 100 2 घंटा –

(ii) अंग्रेजी :– 100 2 घंटा –

(iii) सामान्य ज्ञान :– 100 2 घंटा

(9) **तकनीकी विषय :–** 200 3 घंटा – तकनीकी विषय की विषय सूची

(i) रेशमी धागे/वस्त्र/परिधान की विशिष्टताएं अन्य रेशों (Textile Fibre) के साथ इसके भौतिक, रसायनिक, व्यवहारिक गुणों, उपलब्धता की जानकारी, अन्य धागों के साथ mixing कर मिश्रित धागे बनाने की जानकारी

(ii) नर्सरी/वृक्षारोपण की नवीनतम तकनीक

(iii) कीटपालन की नवीनतम तकनीक, उत्पादकता बढ़ाने के उपाय

(iv) बीजागार की नवीनतम तकनीक fecundity, रोग मुक्त चकत्तों के मूल्य, मात्रा, egg carrying तकनीक

(v) Post cocoon- stiffling की नवीनतम विधियाँ, उपकरण, कोए की गुणवत्ता की जाँच, गुणवत्ता आधारित कोए का मूल्यांकन, कोए का विपणन, penditta, gading, रीलिंग स्पिनिंग के indegious मशीन एवं तकनीक, आधुनिकता तकनीक, सूत का अन्तर्राष्ट्रीय ग्रेडिंग

(vi) बुनाई तकनीक, हस्तकरघा से लेकर आधुनिक करघे की जानकारी cqu

(vii) Degumming, dying, printing, finishing, विधियों उपकरणों मशीनों की जानकारी

(viii) विश्व, भारत, बिहार के संदर्भ में रेशम उद्योग, वर्तमान एवं भविष्य

8. **परिवीक्षा की अवधि ।–** नियम– 6 (1) के तहत् संबंधित पदों पर सीधे नियुक्त तकनीकी कर्मियों के लिए नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि परिवीक्षा अवधि मानी जाएगी।

9. **प्रशिक्षण ।–** परिवीक्षा अवधि में एवं उसके पश्चात् सेवा काल में राज्य सरकार/निदेशालय द्वारा आदेशित ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा, जो समय–समय पर इस हेतु विनिश्चित की जाएंगें।

10. **संपुष्टि ।–** (1) परिवीक्षा पर नियुक्त कोई कर्मी, अपनी परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति, होने के पश्चात् ही निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना द्वारा संपुष्ट किया जा सकेगा। लेकिन इसके पूर्व क्रमांक– 1, 2 एवं 3 के कार्मिकों को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुपण परीक्षा तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। उपरोक्त कोटि की सभी विभागीय जाँच परीक्षाओं का आयोजन नियमानुसार /राजभाषा विभाग/राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित "स्टेच्युटरी" संस्थाओं द्वार किया जाएगा।

(2) कम्प्यूटर योग्यता की जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र ही प्रभावी होगा।

11. **<u>प्रोन्नति</u>** **:–** (1) इस संवर्ग में प्रोन्नति के पद सोपान एवं उसका प्रतिशत निम्नवत् रहेंगे और यह प्रोन्नति, निदेशालय स्तर पर निम्न रुप में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जाएगी :–

1. संयुक्त उद्योग निदेशक – अध्यक्ष
2. संयुक्त उद्योग निदेशक(तक0) – सदस्य
3. उप उद्योग निदेशक(रे0) – सदस्य
4. विभाग द्वारा नामित एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी – सदस्य

क्र0 सं0	जिस पद के धारक को प्रोन्नति दी जाएगी उसका पदनाम	प्रोन्नत पद के प्राधिकृत बल का प्रतिशत जिसमें प्रोन्नति दी जानी है	जिस पद पर प्रोन्नति दी जाएगी उसका पदनाम
1	*2*	*3*	*4*
1.	तकनीशियन (ग्रेनेज/ रीयरिंग/प्लान्टेशन/रीलिंग)/ दक्ष बुनकर/वार्पर/रंगाई सहायक/फिनिसिंग सहायक	50	अधिदर्शक एवं पर्यवेक्षक
2.	अधिदर्शक एवं पर्यवेक्षक (जिनकी योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेरिकल्चर होगी)	25	सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष
3.	सहायक अधीक्षक/प्रबंधक /तकनीकी सहायक/ सहायक उत्पादन प्रबंधक /फार्म मैनेजर/ प्रयोगशाला सहायक	–	परियोजना पदाधिकारी

प्रोन्नति क्रमांक– 3 में दर्ज पदों से फीडर कैडर में विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा दी जाएगी।

(2) कार्मिकों को यह प्रोन्नति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियत कालावधि एवं प्रोन्नति की सभी शर्तें पूरा करने पर ही दी जा सकेगी।

12. **<u>अवशिष्ट मामले</u>।–** ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रुप से आच्छादित नहीं है। संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होगा।

13. **<u>कठिनाईयों का निराकरण</u>।–** नियमावली से संबंधित किसी भी कठिनाई का अंतिम निराकरण विधि विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

14. **<u>निर्वचन</u>।–** जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ मामला सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग से परामर्श के पश्चात विभाग द्वारा विनिश्चत किया जाएगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–... दिनांक–.................................

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि गजट की एक सौ अतिरिक्त प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–... दिनांक–.................................

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–... दिनांक–.................................

प्रतिलिपि– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–... दिनांक–.................................

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना, सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– इ.टे./ल०-के०/नियमावली-05/08 3078 दिनांक– 29/07/2015

प्रतिलिपि– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, तकनींकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना/सहायक उद्योग निदेशक(लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/07/2015

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।